

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023

प्रलिस के लिये:

[वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वन संरक्षण अधिनियम](#), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980

मेन्स के लिये:

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वन \(संरक्षण\) संशोधन अधिनियम 2023](#) लोकसभा द्वारा पारित किया गया जिसका उद्देश्य [वन \(संरक्षण\) अधिनियम, 1980](#) में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। यह भारत में वनों के संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है।

पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता के बाद वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को **आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित** किया गया था।
 - हालाँकि अनेक **वन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया** था तथा बनी किसी स्थायी वन वाले क्षेत्रों को 'वन' भूमि में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1996 के गोदावरमन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया** और फैसला सुनाया कि वन संरक्षण अधिनियम उन सभी भूखंडों पर लागू होगा जो या तो 'वन' के रूप में दर्ज थे या फिर शब्दकोश द्वारा परिभाषित **वन** के अर्थ से मिलते जुलते हों।
- सरकार ने **जून 2022 में वन संरक्षण अधिनियमों** में कुछ बदलाव किया, ताकि डेवलपर्स को "ऐसी भूमि, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है", पर वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जा सके और प्रतिपूरक वनीकरण की बाद की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे भूखंडों की अदला-बदली की जा सके।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- अधिनियम का दायरा:**
 - एक प्रस्तावना शामिल करके यह अधिनियम अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाता है।
 - इसके प्रावधानों की क्षमता को दर्शाने के लिये इस अधिनियम का नाम बदलकर **वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980** कर दिया गया।
- वभिन्न भूमियों पर प्रयोज्यता:**
 - यह अधिनियम, जिस शुरु में सरिफ **अधिसूचित वन भूमि** पर लागू किया गया था, बाद में **राजस्व वन भूमि और सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज भूमि** तक बढ़ा दिया गया।
 - संशोधनों का उद्देश्य **दर्ज वन भूमि, नजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना है।**
- छूट:**
 - अधिनियम में वनों के बाहर **वनीकरण** तथा वृक्षारोपण को **प्रोत्साहित करने के लिये कुछ छूट** का प्रस्ताव है।
 - सड़कों और रेलवे के किनारे स्थित बस्तियों एवं प्रतिष्ठानों के लिये कनेक्टविटी प्रदान करने हेतु **0.10 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव** किया गया है, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के लिये **10 हेक्टेयर तक भूमि का प्रस्ताव** किया गया है तथा सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिये वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में **5 हेक्टेयर तक वन भूमि का प्रस्ताव** दिया गया है।
 - इन छूटों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, **वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC), नियंत्रण रेखा (Line of Control- LoC)** आदि के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **रणनीतिक परियोजनाएँ** शामिल हैं।
- विकास के लिये प्रावधान:**
 - अधिनियम नजी संस्थाओं को पट्टे पर वन भूमि के आवंटन से संबंधित **मूल अधिनियम** के मौजूदा प्रावधानों को सरकारी कंपनियों तक भी विस्तारित करता है।

- इससे विकास परियोजनाओं को सुवधि मलिंगी और अधनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित होगी ।
- **नवीन वानिकी गतविधियाँ:**
 - संशोधनों में वनों के संरक्षण के लिये वानिकी गतविधियों की शृंखला में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों के लिये बुनियादी ढाँचे, इकोटूरज्म चड़ियाघर और सफारी जैसी नई गतविधियों को जोड़ा गया है । वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं जाँच को गैर-वानिकी गतविधियाँ नहीं माना जाएगा ।
- **जलवायु परिवर्तन शमन एवं संरक्षण:**
 - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे क्षेत्र वन संरक्षण पर्यासों के पहचाने गए भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के पर्यासों में योगदान देना तथा वर्ष 2070 तक **नेट शून्य उत्सर्जन** जैसी भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान देना ।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:**
 - वधियक चड़ियाघरों, सफारी और इकोटूरज्म की स्थापना जैसी गतविधियों को प्रोत्साहित करता है, जनिका स्वामित्व सरकार के पास होगा, साथ ही यह संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापित किया जाएगा ।
 - ये गतविधियाँ न केवल वन संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं बल्कि स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसर भी उत्पन्न करती हैं, उन्हें समग्र विकास के साथ एकीकृत करती हैं ।

वधियक से संबंधित चिंताएँ

- **हृदि नाम पर आपत्त:**
 - अधनियम के नए नाम (जो अब हृदि में है) पर इस आधार पर आपत्तियाँ थीं कि यह "गैर-समावेशी" था और इसमें दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर दोनों में "गैर-हृदि भाषी" आबादी के कई व्यक्त शामिल नहीं थे ।"
- **पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रभाव:**
 - वधियक में प्रस्तावित छूट ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीतिक परियोजनाओं से संबंधित, पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे- हिमालय, ट्रांस-हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नरिनीकरण के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं ।
 - वधियक, 2023 (FCA) भारत की सीमाओं पर रहने वाले स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को समाप्त कर देगा ।
 - उचित "मूल्यांकन और शमन योजनाओं" के बिना, ऐसी मंजूरी से जैव विविधता को खतरा हो सकता है और वधियक मौसम की घटनाओं को ट्रिगर किया जा सकता है ।
- **सीमा प्रयोज्यता:**
 - वधियक कानून के दायरे को केवल अक्टूबर 1980 या उसके बाद वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों तक सीमित रखता है । इस बहिष्करण के परिणामस्वरूप वन भूमि और जैव विविधता वाले गरम स्थानों के महत्वपूर्ण हिससे अधनियम के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिससे उन्हें गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये संभावित रूप से बेचने, परिवर्तित करने, साफ करने तथा शोषण करने की अनुमति मिल जाएगी ।
- **समवर्ती सूची और केंद्र-राज्य संतुलन:**
 - कुछ राज्य सरकारों ने तर्क दिया है कि वन संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है ।
 - उनका मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों से संतुलन केंद्र की ओर झुक सकता है और वन संरक्षण मामलों में राज्य सरकारों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है ।

आगे की राह

- प्रस्तावित संशोधनों और वनों, जैव विविधता तथा स्थानीय समुदायों पर उनके संभावित प्रभावों का गहन एवं व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ।
- इस मूल्यांकन में पारस्थितिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार किया जाना चाहिये तथा इसमें विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, आदिवासी समुदायों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों का योगदान होना चाहिये ।
- सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिये उनके साथ सार्थक परामर्श एवं संवाद जारी रखना । इससे पारदर्शिता, समावेशिता और बेहतर नरिणय लेने में मदद मिलेगी ।

स्रोत : पी.आई.बी.